

FORM-1
(for linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Pithoragarh

No---

Dated 25-11-20

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliances of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognitions of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 4.335 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of PWD Askote (name of user agency) for **Baluwakote To Payya** motor road (purpose for diversion of forest land) in Pithoragarh district falls within jurisdiction of **Baluwakote & Payya** village (s) in **Dharchula** Tehsil.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.335 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consolations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Signature



पिथौरागढ़

(Full name and official seal of the District Collector)

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT Pithoragarh (U.K.)


Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Pithoragarh district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr./Mrs./Miss. Dr. Vijay Kumar Jyodande I.A.S deputy commissioner Pithoragarh on dated 25-11-20 at time 11:30...at Pithoragarh in which application claiming rights in area measuring 4.335 Hect. for the construction of for Baluwakote to Payya Motor Road forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Dharchula sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Pithoragarh

Dated: 25-11-20


जि.स. अधिकारी

Deputy Commissioner cum-Chairman
District Lev

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 901/2017 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में बलुवाकोट पय्यापौड़ी हल्का वाहन मार्ग का विस्तार किमी0 9.400 से किमी0 16.400 किमी0 मोटर मार्ग का कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - बलुवाकोट / पय्यापौड़ी
तहसील-धारचूला, जिला-पिथौरागढ़
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 901/2017 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में बलुवाकोट पय्यापौड़ी हल्का वाहन मार्ग का विस्तार कार्य। (लम्बाई 9.400-16.400 कि०मी०) परियोजना के निर्माण हेतु (शून्य हे० आरक्षित वन भूमि, 4.335 हे० सिविल सोयम भूमि, शून्य हे० वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 4.335 हे० वन भूमि का निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० अस्कोट विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बलुवाकोट / पय्यापौड़ी द्वारा दिनांक 20-5-2020 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बलुवाकोट / पय्यापौड़ी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-

ग्राम सचिव

ह०/-
प्रधान
या ग्रामपंचायत प्रधान
विकास खण्ड
पिथौरागढ़ जिला

प्रपत्र-23.1

दिनांक:- 5-1-20को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत:- पैय्यापौड़ी

क्रमांक	ग्राम सभामें उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	कुलदीप कुमार	
2	रघुजीत सिंह	रघुजीत सिंह
3	विद्यान राम	विद्यान राम
4	भोगी सिंह कोरा	भोगी सिंह
5	चन्द्र सिंह	चन्द्र सिंह
6	राम कन्त जोशी	राम कोशी
7	सान्त्वकाश सिंह	
8	पवन सिंह कोरा	
9	श्याम सिंह	
10	नवीन कुमार	नवीन कुमार
11	शुभाष कुमार	शुभाष कुमार
12	गोपबन्धु - पन्नादे	गोपबन्धु
13	वसुदेव सिंह रेखाबा	
14	ललित मोहन	
15	अनुराग सिंह रेखाबा	अनुराग
16	भूपेन्द्र सिंह रेखाबा	भूपेन्द्र
17	बंकर सिंह रेखाबा	
18	प्रमोद सिंह रेखाबा	Prm
19	उदयचन्द रेखाबा	
20	श्री पालादे	श्री
21	जादीक प्रभु	
22	जय सिंह	जय सिंह

हो
 ग्राम प्रधान
 विकास खण्ड
 जिला पिथौरगढ़ (उ.प्र.)

प्रपत्र-23.1

दिनांक:- 5-1-20को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत:- बलुवाकोट

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	कुलदीप कुमार	
2	रणजीत सिंह चलाल	
3	विश्वनाथ राम	
4	श्रीम सिंह	
5	रामदत्त जोशी	
6	सान्त्वकाश सिंह	
7	पवन सिंह कोरा	
8	हरेश सिंह	
9	नवीन वर्मा	
10	शुभाष कुमार	
11	गोवर्धन समाद	
12	वहाइल सिंह देवमा	
13	ललित मोहन	
14	सिद्ध सिंह देवमा	
15	हरन सिंह देवमा	
16	नाथलाल	
17	जारीश शर्मा	
18	श्याम सिंह	
19		
20		
21		
22		

हो

ग्राम प्रधान

या पंचायत पट्टी पौड़ी

विकास खण्ड धारः

जिला पिथौरागढ़ (उत्तराखण्ड)

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :-

माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 901/2017 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के बलुवाकोट पैय्यापौड़ी हल्का वाहन मार्ग का विस्तार किमी0 9.400 से किमी0 16.400 तक चौड़ीकरण एवं सुधार कार्य।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, धारचूला
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, धारचूला

उपखण्ड धारचूला परिक्षेत्र के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 901/2017 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला बलुवाकोट पैय्यापौड़ी हल्का वाहन मार्ग का विस्तार (लम्बाई 9.400 से 16.400 कि0मी0) (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 4.335 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, शून्य हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 4.335 हे0 वन भूमि) का निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील धारचूला) की दिनांक 21.2.20 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री अनिल कुमार गुप्ता उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री अनिल कुमार गुप्ता उप जिलाधिकारी धारचूला अध्यक्ष
- 2- श्री नवीन कुमार गुप्ता उप प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ सदस्य
- 3- श्री कुमदीप शर्मा सहायक समाज कल्याण अधिकारी धारचूला सदस्य/सचिव
- 4- श्री प्रशांत सिंह नग्याल बी0डी0सी0 क्षेत्र दुर्ग सदस्य
- 5- श्री मनोज सिंह बी0डी0सी0 क्षेत्र 07 नौ सदस्य
- 6- श्री लक्ष्मी देवी बी0डी0सी0 क्षेत्र 14 जुम्मा सदस्य

21.2.20

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 216/2014 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में बलुवाकोट पैय्यापौड़ी हल्का वाहन मार्ग विस्तार (लम्बाई 9.400 से 16.400 कि0मी0) परियोजना हेतु 4.335 हे0 वनभूमि निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है। संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, नवीन कुमार गुप्ता द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 अस्कोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 901/2017 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में बलुवाकोट पैय्यापौड़ी हल्का वाहन मार्ग का विस्तार (लम्बाई 7.00 कि0मी0) परियोजना के निर्माण हेतु 4.335 हे0 वन भूमि निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट, प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- धारचूला
जनपद- पिथौरागढ़

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

लक्ष्मी देवी
(लक्ष्मी देवी)
सदस्य क्षेत्र पंचायत
14-जुम्मा उत्तर
वि0ख0- धारचूला

प्रशांत सिंह नग्याल
सदस्य
क्षेत्र पंचायत दुर्ग
वि0 ख0 धारचूला (पिथौरागढ़)

मनोज सिंह गुवाल
सदस्य क्षेत्र पंचायत 07- बीन
वि0ख0- धारचूला (पिथौरागढ़)

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :-

माननीय मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या 901/2017 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के बलुवाकोट पय्यापौड़ी हल्का वाहन मार्ग का विस्तार किमी0 9.400 से किमी0 16.400 तक चौड़ीकरण एवं सुधार कार्य।

कार्यलय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र
जिला स्तरीय समिति, पिथौरागढ़।

खण्ड पिथौरागढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत माननीय मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या 901/2017 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला बलुवाकोट पय्यापौड़ी हल्का वाहन मार्ग का विस्तार (लम्बाई 9.400 से 16.400 कि0मी0) (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 4.335 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, शून्य हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 4.335 हे0 वन भूमि) का निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील धारचूला) की दिनांक 25-11-20 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री श्री. विजय कुमार जोशी, जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री श्री. विजय कुमार जोशी जिलाधिकारी पिथौरागढ़ अध्यक्ष
- 2- श्री श्री. विजय कुमार जोशी प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ सदस्य
- 3- श्री श्री. विद्यानाथ समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ़ सदस्य / सचिव
- 4- श्री श्री. शशि जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र खेला सदस्य
- 5- श्री श्री. मीना जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र मेतली सदस्य
- 6- श्री श्री. मीना जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र 09 नाचनी सदस्य

सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि माननीय मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या 216/2014 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में बलुवाकोट पय्यापौड़ी हल्का वाहन मार्ग विस्तार (लम्बाई 9.400 से 16.400 कि0मी0) परियोजना हेतु 4.335 हे0 वनभूमि निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम तथा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम समा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है। संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी, श्री. विजय कुमार जोशी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्रावधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम समा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 अस्कोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत माननीय मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या 901/2017 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में बलुवाकोट पय्यापौड़ी हल्का वाहन मार्ग का विस्तार (लम्बाई 7.00 कि0मी0) परियोजना के निर्माण हेतु 4.335 हे0 वन भूमि निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट, प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जाती है।


जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

जिलाधिकारी (अध्यक्ष)
पिथौरागढ़।

प्रभागीय वनाधिकारी (सदस्य)
पिथौरागढ़।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
सदस्य/सचिव
पिथौरागढ़।

जिला पंचायत
सदस्य (सदस्य)
सदस्य
जिला पंचायत खेला 02
धारचूला (पिथौरागढ़)

श्रीमती श्रीमती
जिला पंचायत सदस्य (सदस्य)
सदस्य जिला पंचायत
मेतली (पिथौरागढ़)

जिला पंचायत सदस्य (सदस्य)
जिला पंचायत सदस्य
(नाचनी, पिथौरागढ़)

FORM-II
(For projects other than linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector

No---

Dated-25-11-20

To WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognitions of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 4.335 Hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **P.W.D. Askote** (Name of user agency) for **Baluwakote to Payya Motor road** (Purpose for diversion of forest land) in Pithoragarh District falls within jurisdiction for **Baluwakote & Payya** village (s) in **Dharchula** tehsils.

It is further certified that:

the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire... hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....

the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the gram sabha of.... villages(s) is enclosed as annexure..... to annexure.....

the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Eucl: As above.


 जिलाधिकारी
 पितौरागढ़

Signature
 (Full name and official seal of the District Collector)